कार्यालय जिला पंचायत,सीतापुर।

अनुज्ञा पत्र/स्वीकृति

पत्रॉकः 407 /मानचित्र लि0–जि0पं0/2023–2024, दिनॉकः 11.04.2023

आर0ए0वी0 ग्लोबल सोल्यूसन्स प्रा0लि0
पता 719/ए0 तथा बी0 721/ए0 तथा बी0 सातवी मंजिल साइबर हाइटस
इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान के सामने विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ–226010 (उ0प्र0)
श्री विक्रम सिह सिसोदिया पुत्र श्री यशवीर सिंह सिसोदिया निदेशक (आर0ए0वी0 ग्लोबल सोल्यूसन्स प्रा0लि0)
नि0 दौलतपुर ढीकरी, धौलाना, गाजियाबाद, उ0प्र0 245301

आपके द्वारा के द्वारा ग्राम भैरमपुर, गयावर वि0ख0 व तहसील मिश्रित के क्षेत्रान्तर्गत स्थित भूमि गाटा संख्या 1166 क, 1226, 1221, 327 पर व्यावसायिक भवन प्रस्तावित एक रिसोर्ट (द रिवर कैसल – THE RIVER CASTLE) का निर्माण हेतु दिये गये आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त जिला पचायत सीतापुर की भवन निर्माण उपविधि दिनॉकः 27.12.2014 के उपबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1– भू–खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नही होगा।

2– उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत सीतापुर की स्वीकृति नही किया जायेगा।

3– स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नही होगा तथा ना ही इस रूप में प्रयुक्त किया जायेगा।

4– प्रस्तावित स्वीकृत मानचित्र संरचना के अनुरूप ही भूखण्ड का विकास कराया जायेगा। भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

5– प्रस्तावित मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्रफल सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे– चकमार्ग, नाली, तालाब, मरघट, चरागाह व नवीन परती भूमि एवं सीतापुर महायोजना/नगरीय क्षेत्र से आच्छादित भूमि यथा लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्नि शमन विभाग, वनविभाग व अन्य शासकीयव अर्धशासकीय विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

6– यदि भूमि सम्बन्धी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो जिला पंचायत सीतापुर इसका उत्तरदायी नही होगा तथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।एवं न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय सीतापुर होगा।

7– उपविधि, नियमों एवं शर्तो के अधीन अनुज्ञा जारी होने के दिनॉकः से तीन वर्ष की अवधि के लिये वैध एवं मान्य होगी।

8– रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्वति को अनिवार्य रूप से करना होगा।

क्रमशः

9— प्रतिबन्ध रहेगा कि समय—समय शासन द्वारा उक्त विषयक निर्गत शासनादेश स्वतः प्रभावी होंगे।

10— प्रतिबन्ध रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष भवन निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड के स्ट्रक्चरल प्राविधानों के सुरक्षा मानकों के अनुसार ही कराया जायेगा। यह उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा।

11— प्रतिबन्धित रहेगा कि अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नही माना जायेगा।

12— प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन निर्माण हेतु निर्धारित अवधि के भीतर ही स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यालय जिला पंचायत सीतापुर से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

11/04/23 — 11/04/23

अभियन्ता,
जिला पंचायत सीतापुर।
अभियन्ता
जिला पंचायत सीतापुर

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत सीतापुर।
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत सीतापुर

पत्रांक / दिनॉकः—यथोपरि।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1— जिला अग्नि शमन अधिकारी, जिला पंचायत सीतापुर को सूचनार्थ।

2— श्रम प्रर्वतन अधिकारी, जनपद सीतापुर को सूचनार्थ।

3— सम्बन्धित अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, सीतापुर को इस आशय से कि उक्त की स्वीकृति के अनुसार ही निर्माण सुनिश्चित करायें।

अभियन्ता,
जिला पंचायत सीतापुर।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत सीतापुर।